

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 18.2.22

**::आज्ञा::**

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	महेश कुमार मीना कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जयपुर	1. राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु। 2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने हेतु।
2.	अंकित सिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी	अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
3.	आशीष गुर्जर कनिष्ठ विधि अधिकारी	विधि वादकरण (गुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
4.	पूजा गोदारा कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
5.	प्रकाश चन्द गुर्जर कनिष्ठ विधि अधिकारी	महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर	1. राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु। 2. मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2021
6.	अमृत्या दुबे कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्व (गुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	1. राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु। 2. मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश, प्रारम्भिक परीक्षा-2021
7.	ऋचा झंवर कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
8.	अनिल कुमार मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर परिषद, नागौर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।

**शर्त:-**

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव